

प्रेम्बर,

संख्या: 5231/14-2-96-3001271/1995.

श्री बी०के० गटनायक,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक,
वन उपयोग वृत्त, गोरखपुर।

अनुभाग-2

स्थान: दिनांक: 15 अक्टूबर, 1996.

विषय:- जनपद-सोनभद्र में रेणुतागर से हिण्डालको तक 132 हे०वी० द्वातमिन्न
साइन के निर्माण हेतु गे० हिण्डालको को 52.9666 हे० वनभूमि का
25 वर्षों के लिये लीज पर दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपसे वन संख्या: 1090/11सी-87/11सोनभद्र, दिनांक:
15-3-1995 के संदर्भ में मुझे यह रहने का नितेश हुआ है कि श्री राज्यपाल जनपद-सोनभद्र
में रेणुतागर से हिण्डालको तक 132 हे०वी० विद्युत पारोक्ष्य साइन के निर्माण हेतु
गे० हिण्डालको इन्डस्ट्रीज लि० को 52.9666 हे० वनभूमि 25 वर्षों के लिये
लीज पर दिये जाने के लिये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली के
पत्रांक: 8-75/95-स्प०सी०, दिनांक: 17 जुलाई, 1996 द्वारा प्रदत्त शर्तांश अनुमति व निम्न
शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 111-वनभूमि लीज पर दिये जाने के बाद भी इसकी वैधानिक स्थिति में
कोई परिवर्तन नहीं होगा तथा वह पूर्ण की भांति वनभूमि बनी रहेगी।
- 121-गे० हिण्डालको इन्डस्ट्रीज द्वारा प्रसंगत वनभूमि का उपयोग केवल उक्त
प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा तथा वह उक्त भूमि उक्त उक्त अंश
भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तांतरित
नहीं करेगा।
- 131-गे० हिण्डालको इन्डस्ट्रीज लि० के व्यय पर वन विभाग द्वारा दिये
अनंत वन क्षेत्र में शक्तिपूर्वक वृक्षारोपण कराया जायेगा।
- 141-द्वातमिन्न साइन एवं टावर की न्यूनतम उंचाई कम से कम इतनी हो
कि उक्त वन्य जंतुओं को कोई क्षति न पहुँचे।
- 151-गे० हिण्डालको इन्डस्ट्रीज लि० द्वारा प्रसंगत वनभूमि के क्षेत्र में कोई
निर्माण कार्य नहीं कराया जायेगा।
- 161-गे० हिण्डालको इन्डस्ट्रीज लि० के अधिकारी, कर्मचारी अथवा छेदार
या अन्य कोई व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेगा
और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुँचती है
तो क्षति पहुँचायी जाती है, तो इसके लिये सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी
द्वारा निर्धारित प्रतिस्तर उक्त घाईब द्वारा देय होगा।

..... 2/-

For Hindalco Industries Limited

(Vivek Kumar)
Authorized Signatory

- 2-
- 171-प्रसंगत वनभूमि में मोहिण्डालको के उपयोग में पट्टा अर्थात् के क्षेत्र तब तक बनी रहेगी, जब तक कि याचक को उतनी उबत प्रयोजन में आवश्यकता रहेगी। यदि इकाई को उबत वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथास्थिति उबत भूमि अथवा उबत भूमि का ऐसा भाग जो याचक के लिये आवश्यक न रहे, वन विभाग को बिना किसी प्रतिस्तर का भुगतान किये वापस हो पाये।
- 181-वन विभाग अथवा उसके अधिकारियों को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, तीव्र पर दिये गये भूखण्ड में प्रवेश करने व उतका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
- 191-वन क्षेत्र में परियोजना में कार्य करने वाले मजदूर तथा कर्मचारी अथवा मजदूर की आवश्यकता के लिये पानी को हाथ में पहुँचाये, इससे लिये मोहिण्डालको इण्डस्ट्रीज उन्हीं मजदूरों की लकड़ी निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।
- 1101-वनभूमि के उपर से विद्युत लाइन से जाने में यथासम्भव वृक्षों का कटान नहीं किया जायेगा तथा धर्मों की रक्षा करके इतनी सुविधित किया जायेगा। यदि फिर भी वृक्षों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है, तो न्यूनतम वृक्षों को संयुक्त निरीक्षण करके तत्सम्बन्धित उबत वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर तत्सम्बन्धित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक होगा। पातल किये जाने वाले वृक्षों का निर्धारित बाजार मूल्य इकाई से प्राप्त किया जायेगा।
- 1111-मोहिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि० द्वारा प्रसंगत वनभूमि का प्रीमियम 59,280.00 रुपये उन्हाउ हजार हो तो अंशों मात्र। प्रति हेक्टेयर की दर से रुपये 31,39,860.00 रुपये इकाईत मात्र उन्हाउ हजार आठ तो साठ मात्र। तथा प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक तीव्र रेट का भुगतान नियमित रूप से किया जायेगा।
- 1121-मोहिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि० द्वारा पट्टाधिलेख के विपरीत हेतु न्याय विभाग द्वारा निर्धारित विपरीत गुल्फ की वनराशि लेखा नं० 0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-01-न्याय प्रशासन-50 नारे और सेवा कीत-01-की गयी सेवाओं के लिये भुगतानों की उगाही के उतगत ट्रेजरी में जमा करके ट्रेजरी घातान की प्रति पट्टाधिलेख के आलेख के साथ एक माह के भीतर उपलब्ध कराया जायेगा।

2- यह आदेश विगत विभाग के अकाउन्टीय संख्या:ई-8-1324/एस-1996, दिनांक: 8-10-1996 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
For Hindalco Industries Limited

(Vivek Kumar)
Authorized Signatory
14/10/2007
मिनिम तमिना

संख्या: 5281111, 4-2-उत्तादिनांक

~~संख्या: 5281111, 4-2-उत्तादिनांक~~

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सुवनाय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, लीडजी 0300
काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
- 2- महाप्रबन्धक, प्रयोगा 3090 छायाबाद।
- 3- जिलाधिकारी, सोनभद्र।
- 4- वन संरक्षक, चारागली वृत्त-2, विन्ध्य वृत्त, 3090 राभगढ़, चारागली।
- 5- प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकुट वन, प्रभाग, रेनुकुट, सोनभद्र।
- 6- महाप्रबन्धक, मे 8 डिब्बातको, रेनुकुट, सोनभद्र।
- 7- विभागाध्यक्ष-निर्वाह, अनुभाग-8, 3090 विवालय।

आज्ञा से,

M. K. Singh
डी०के०एस०
विन्ध्य तपस्य।

For Hindalco Industries Limited

(Vivek Kumar)
Authorized Signatory